



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-111. / 2020
दिनांक : 26.05.2020

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय के विद्यापीठों के स्कूल बोर्ड की बैठक के आयोजन (तिथि सहित) की स्वीकृति कुलपति महोदय द्वारा एवं विभागों/केंद्रों के अध्ययन मंडलों की बैठक हेतु स्वीकृति प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल, प्रतिकुलपति द्वारा दी जाएगी।

स्कूल बोर्ड, अध्ययन मंडलों एवं मौखिकी परीक्षा मंडल (Viva-voce Board) की बैठकों में आमंत्रित बाह्य सदस्यों को नियत बैठक मानदेय (Fixed Sitting Honorarium) का भुगतान स्कूल बोर्ड/अध्ययन मंडल/मौखिकी परीक्षा मंडल के अध्यक्ष की स्वीकृति के उपरांत वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव) 26/05/2020

प्रति (ईमेल द्वारा): समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. वित्त विभाग
4. सहायक कुलसचिव, परीक्षा विभाग एवं प्रवेश प्रकोष्ठ
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली